VII *अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्यो के सम्बध मे जनता या जन प्रतिनिधि हेतू उपलब्ध व्यवस्था का विवरणः -*

प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान	*नागरिकों को चुनाव लडने का एवं मत देने का अधिकार*
नगरपालिका मे अध्यक्ष एवं उपाध्क्ष का प्रावधान	*नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्क्ष का चुनाव चयनीत प्रतिनिधियो द्वारा होता है ।*
नगरपालिका मे स्थायी समिति का प्रावधान धारा (Sec 50)	*न्गरपालिका मे स्थायी समितियो के गठन का प्रावधान है । इन समितियो का गठन, निगम/परिशाद/बोर्ड के उपस्थित सदस्यो के बहुमत से परित संकल्प द्वारा किया जाएगा । समिति के कुल सदस्यों की सख्या नगरपालिका द्वारा तय की जाएगी पर समिति में अधिकतम सात पार्शाद होगें।*
नगर परिशाद की सामान्य एवं विशेशा बैठक	***नगर पालिका की बैठक एवं गणपूर्ति (कोरम)***
	नगर पालिका की बैठक (धारा 28)
	महीने मे कम से कम एक अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाघ्यक्ष, सदस्यो की कुल सख्या के आधे द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्र की तारीख के दस दिन की अवधि के भीतर साधारण या विशेशा बैठक बुलाएगा । अपेक्षा पत्र मे बैठक का उदेदेश्य अवश्य लिखा हो ।

MC-PAONTA SAHIB

यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्धारित अवधि में बैठक बुलाने मे असमर्थ रहे तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य वैठक वुलाने के लिए उपमण्डल अधिकारी (सिविल) से प्रार्थना कर सकते है ।

गणपूर्ति (कोरम) (धारा 30)

नगर पालिका की कुल सदस्यो की संख्या का आधा।

नगरपालिका बैठक में विपेश कार्य संपादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कुल सदस्यो (आसीन)की आधी (1/2) संख्या है ।

किसी नगरपालिका की सामान्य बैठक मे कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति नगरपालिका के सदस्यों की ऐसी सख्या या उनका ऐसा अनुपात होगी हो उप विधियों द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाए, किन्तु तीन से कम नही होगी

नगरपालिका की बैठक में कोरम पूरा नही होने पर सभापति बैठक को अगली उपयुक्त अवधि के लिए स्थगित कर देगा । लेकिन अगली बैठक में वे सभी कार्य पूरे किए जाएगें चाहे कोरम पूरा हो अथवा नही

बैठक की अध्यक्षता (धारा 31)

अध्यक्ष,उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा चुना

MC-PAONTA SAHIB

गया कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकता है ।

प्रस्ताव पारित करना (धारा 32)

नगरपालिका के सारे प्रस्ताव बैठक मे उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होंगें । मतों की संख्या बराबर होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने क अधिकार होगा ।

बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन; च्तवबममकपदहेद्ध

और प्रकाशन (धारा 32)

प्रत्येक बैठक के कार्यवत तैयार किए जाएगें, बही रजिस्टर मे लिखे जाएगें तथा सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें ।

कार्यवाही ऐसी भाशाा में लिखी एवं प्रकाशित की जाएगी जो सरकार निर्दिशट करे ।

प्रत्येक पारित संकल्प की एक कापी, बैठक की तारीख से 30 दिन के अन्दर उपायुक्त एवं निदेशक को भोजी जाएगी ।

MC-PAONTA SAHIB

निदेशक की शक्तिया (धारा 35)

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की सभी या जो उचित समझें शक्तियां दे सकेंगी ।

नगरपालिका परिषद की तीन स्थायी / कार्यकरणी / प्रशासन समिति / अन्य समिति की बैठक	सदस्यो के साथ बैठकें कम से कम महीने में एक बार होनी चाहिए । 50 प्रतिशत सदस्यो का प्रतिनिधित्व फोरम पूरा करने के लिए जरूरी है ।

समिति की बैठको में अपनाई जाने वाली प्रकियाः -

नगरपालिका की किसी समिति की बैठकों का संचालन ऐसी प्रकिया के अनुसार होगा जो विहि की जाये ।

यदि किसी समिति का अध्यक्ष पन्द्रह दिन से अधिक की कालावधि के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थित में समिति की बैठक बुला सकेगा ।

समितियॉ जैसा वे उचित समझें अपनी बैठकें कर सकेंगी और उन्हे स्थगित कर सकेंगी लेकिन समिति का अध्यक्ष जब कभी वह ठीक समझें ऐसी समिति की विशेशा बैठक वुला सकेगा तथा बोर्ड के अध्यक्ष के या समिति के कम से कम दो सदस्यो के लिखित निवेदन के प्रस्तुतीकरण से दो दिन से अधिक बाद की न हो ऐसी बैठक बुलायेगा

MC-PAONTA SAHIB

। समिति की बैठक मे कोई कार्य तब तक नही किया जायेगा जब तक कि उसमें समिति के आधे सदस्य उपस्थित न हो ।

प्रत्येक सदस्य के अधिकार और विशेशाधिकारः -

कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका कार्य के निशपादन में की गयी किसी उपेक्षा नगरपालिका सम्पति की किसी बरबादी या किसी परिक्षेत्र की आवश्यकताओं की और ऐसे सुधार का जिसे वह वांछनीय समझे सुझाव भी दे सकेगा ।

प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछने तथा नगरपालिका प्रशासन से संबधित मामलों पर संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका के कार्यालय में बोर्ड के अभिलेखो का निरीक्षण करने का अधिकार होगा परन्तु अध्यक्ष लिखित में दिये गये कारणो से ऐसे निरीक्षण का निरोध कर सकेगा ।

नगरपालिका की नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने की प्रकिया में यह धारा मान्य है अन्य मामलो में यदि नियमों का प्रकाशन नैर्सगिक न्याय

MC-PAONTA SAHIB

के सिद्धान्तों के अनुकुल होगा एवं इसके निम्न चरण होंगें-

उन सभी व्यक्तियों नियम के प्रारूप भेजना तथा उसका प्रकाशन ।

निश्चित अवधि के भीतर आपेक्ष निमन्त्रित करते हुए सूचना (नोटिस)

प्राप्त हुए आक्षेपों ; एतराजोद्ध पर विचार एवं इसे अंतिम स्वरूप ।

राज्य सरकार की स्वीकृति ।

नियमो को किसी दूसरे तरीके से व्यापक रूप से
प्रकाशित (प्रचारित) करना होगा -

नियमों तथा उपविधियों को जनता के द्वारा निरीक्षण के लिए नगरपालिका कार्यालय मे खुला रखा जाएगा, ताकि कार्यालय समय के भीतर उनका निरीक्षण किया जा सके और इन नियमों तथा उप विधियों को मुद्रित करवाकर लागत-मूल्य पर बेचा जाऐगा इस प्रकार जनता को इन नियंमों और उपविधियों से अवगत कराया जावेगा । ये उपबंध निदेशात्मक है, न कि आज्ञापक । इनका पालन न करने से ऐसे नियम और उपविधियॉ अवैध नही होगी ।

उप विधियॉ बनाने की प्रकिया के

MC-PAONTA SAHIB

चरण-

<u>बायलॉज</u>

नगरपलिका के क्षेत्र के भीतर रखे गए/किराए के लिए चल रहे वाहनो/रिाए के लिए रखे गए पशुओ/चालको के लिए लाइसैन्स तथा इसकी फीस/शर्ते नियत करेगी । इसके अलावा पहियों के टायरों के लिए नयूनतम चौडाई और ब्यास निर्धारण के लिए प्रबन्ध करेगी

किराए पर लिए गए पशुओं/व्यक्तियो की सेवाओं के लिए गाडी या सवारी के लिए नगरपालिका मूल्य सीमित करेगी ।

जन्म/विवाह/मृत्यु के उचित पंजीकरण जनगणना के लिए उपबन्ध करेगी ।

उन व्यक्तियो की संख्या नियत/परिवर्तन करेगी, जो किसी ऐसे निर्माण या उसके किसी भाग का कब्जा करता हो /निवास के लिए किराए पर दिया जाता है/ एक से अधिक परिवार के सदस्यों द्वारा रहने के लिए कब्जा किया हुआ है अथवा ऐसे भीड वाले बजार क्षेत्रो मे स्थित है,जैसे उपविधि में निर्दिशट किया जाए और निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगी

निमार्णो का पंजीकरण/निरीक्षण

होटलों/किराए के मकान, भवन का लाईसेन्स और ऐसी लाइसेन्सों के

MC-PAONTA SAHIB

लिए फीस, शर्ते दी /रदद की जा सकती है ।

ऐसे निर्माणों में स्वच्छता/हवा के संचार को बढावा ।

ऐसे निर्माणों मे फैल रही संकामक बिमारी/ कूडाकरकट/गन्दगी/ मलजल का हटाना/ निपटारा करना।

होटल/सराय/यात्री भवन और सराय के मालिकों तथा आवासियों क्लबो के सचिवों की दशा में आगन्तुकों का पंजीकरण ऐसे प्रारूप में रखना जैसे नगरपालिका विहित करे ।

निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगीः -

धारा 125 के अधीन लाइसेन्स प्राप्ति स्थानों/शिविर/कांजी हाउस(Slaughter House)/सराय/बेकरियों/सोडा वाटर कारखानें/बर्फ कारखानों/धोबी घाटों/खाद्यान्न गोदामो/रसायनो की दुकानों/वधशालाओं का निरीक्षण और नियंत्रण।

मंडियो और स्टालों का निरीक्षण और विनियमन/मूल्य सूची तैयार करना/प्रदर्शित करना/फीस/ किराए और अन्य प्रभार नियत करना

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर/उसके नियांत्रण में मेले/ औधोगिक प्रदर्शनियां लगाना और धारा 201 के अधीन फीस का इक्टठा करना ।

MC-PAONTA SAHIB

कब्रिस्तान/शमशान के प्रयोगों और प्रबन्ध का नियत्रण ।

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर सार्वजनिक तालाबों कुओं/अन्य स्त्रोतों का जल उपलब्ध कराना/निरीक्षण/नियंत्रण/प्रदूशाण से सुरक्षा।

थियटरों/मनोरंजन के स्थानों का अनुज्ञापन निरीक्षण और नियंत्रण ।

ऐसी कहलों का निरीक्षण /नियंत्रण जिनमे ऐसे नहर स`जल सप्लाई किया जाता हो जिस पर या तो उतरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 या हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम 1976 लागू होता है । नगरपालिका क्षेत्र मे निर्माण या भूमि के स्वामी द्वारा जो नगरपालिका क्षेत्र मे निवासी नही है, नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर /निकट रहने वाले व्यक्तियों की इस अधिनियम/नियमों के प्रयोजनो में से सभी या किसी के लिए ऐजेन्ट के रूप मे कार्य करने के लिए नियुक्ति की अपेक्षा नियंत्रण करेगी ।

नगर पालिका वितीय नियंत्रण और लेखा-परीक्षा

वितीय नियन्त्रण और लेखा परीक्षा (धारा 249)

वित लेखा परीक्षण एवं योजना समिति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

MC-PAONTA SAHIB

वित वर्शा के लिए नगरपालिका के आय-व्यय के बजट तथा वास्तविक व प्रत्याक्षित आय व्यय का पूर्ण लेखा जोखा तैयार करेगी

इस कार्य हेतू नगरपालिका की बैठक फरवरी के प्रथम दिवस से मार्च के दसवें दिन के बीच आयोजित की जानी चाहिए ।

नगरपालिका की बैठक में पारित बजट, उपायुक्त के माध्यम से निदेशक को, तय तारीख से पूर्व भेजा जाएगा ।

यादि नगरपालिका उपरलिखित तारीख को या उससे पूर्व बजट (प्रकाशित) को मंजूरी देने में असफल रहती है तो नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी/सचिव बजट अनुमानित(Budget Estimation) को उपायुक्त के माध्यम से निदेशक को भेजेगे ।

अनुपूरक बजट (धारा 251)

नगरपालिका द्वारा, आवश्यकतानुसार अनुपूरक बजट तैयार व प्रस्तुत किया जा सकता और उसे उपायुक्त के माध्यम से निदेशक को भेजा जाएगा । ऐसे प्रत्येक बजट पर नगरपालिका विचार करेगी और अनुमोदित करेगी ।

लेखो की लेख परीक्षा (धारा 255)

नगरपालिका निधि के लेखों की

MC-PAONTA SAHIB

लेखा परीक्षा, स्वंतत्र लेखा परीक्षा अभिकरण द्वारा की जाऐगी। ऐसे लेंखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए नगरपालिका के सभी लेखाओं और अन्य अभिलेखो तक पहुंच होगी ।

आडिट ऐजेन्सी लेखा परीक्षा के समाप्ति के एक महीने के भीतर रिर्पोट की एक कॉपी नगरपालिका को भेजेगी ।

रिर्पोट की प्राप्ति पर नगरपलिका उस पर विचार करेगी और फिर एसकी उतनी प्रतियां जितनी राज्य सरकार चाहे, बिना किसी देरी के उपायुक्त और निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगी । राज्य सरकार प्राप्त की गई निर्पोट का विधानसभा के समक्ष रखेगी ।

नियंत्रण

उपायुक्त द्वारा नियंत्रण(धारा 262)

उपायुक्त या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार सतक्त कोई व्यक्ति नगरपालिका की किसी स्थाई सम्पति पर या उसके नियंत्रण मे चल रहे किसी कार्य पर प्रवेंश निरीक्षण, सर्वेक्षण करवा सकता है ।

कार्यकारी अधिकारी/सचिव को संबधित लिखित आदेश द्वारा नगरपालिका अपने नियंत्रण में निर्देशित अवधि के भीतर किसी

MC-PAONTA SAHIB

रिर्पोट का विवरण और ऐसी कार्यवाहियों/कर्तव्यों से संबधित दस्तावेजों की प्रतियां मंगवाने/प्रस्तुत करने की आपेक्षा कर सकता है उसका निरीक्षण कर सकता है ।

उपायुक्त ऐसी किसी नगरपालिका की कार्यवाहियों या कर्तव्यो के बारे मे ऐसी टिप्पणियां अभिलिखित कर सकता है जिन्हे वह ऐसी नगरपालिका के विचारार्थ प्रस्तुत करना उचित समझे ।

प्रत्येक नगरपालिका उपायुक्त को राज्य सरकार द्वारा निर्दिशट अन्य प्राधिकारी को समय समय पर रिर्पोट प्रस्तुत करेगी, जिनके लिए राज्य सरकार निर्दिशट करे ।

MC-PAONTA SAHIB